



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 575.....

दिनांक /Date: 18-9-2020

॥ कार्यालय ज्ञापन ॥

विषय:— कोविड-19 संक्रमण काल में आयोग की लिखित परीक्षाओं के दौरान संक्रमण से बचाव हेतु किये जाँनेवाले उपायों से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर आयोग द्वारा संक्रमण काल में लिखित परीक्षाओं हेतु इस बीमारी से बचाव के लिए व्यापक विचार विमर्श किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि निकट भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों में निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी।

1. राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं0-575/USDMA/712(2020) दिनांक 1 सितम्बर, 2020 के द्वारा Unlock-4 से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही इन दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-10 में निम्न व्यवस्था दी गई है।

प्रस्तर 10-1 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य के बाहर से तथा राज्य में विभिन्न जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा से सम्बन्धित प्रवेश पत्र के अतिरिक्त किसी परमिट/यात्रा अनुज्ञा/ई-पास दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों का RTPCR या कोई अन्य टेस्ट या क्वारंटीन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को अपनी यात्रा के लिए Smart City Web Portal पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा इसका URL <http://smartcitydehradun.uk.gov.in> है।

अतः अभ्यर्थी अपने घर से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके/प्रिंट आउट लेकर चलें तथा उपरोक्त पोर्टल पर यात्रा का पंजीकरण करा लें। इन अभिलेखों की जांच राज्य की सीमा या अंतर्जनपदीय सीमा पर होगी।

2. सभी अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि अपनी यात्रा के लिए वाहन/सार्वजनिक/निजी परिवहन की जानकारी/व्यवस्था भी समय से कर लें तथा परीक्षा केन्द्र वाले शहर में रुकने की आवश्यकता की दशा में पहले से जानकारी व योजना कर लें।
3. आयोग द्वारा प्रवेश पत्र में परीक्षा केन्द्र पर भीड़ एकत्र होने से बचने के लिए प्रवेश के लिए समय अवधि (Time Slot) अंकित की जा सकती है अतः पूरा प्रयास यह करें कि उसी Time Slot में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर लें जिससे प्रवेश के लिए परीक्षा केन्द्र में अनावश्यक भीड़ न हो। जो अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर जल्दी पहुँच जाते हैं, वे परीक्षा केन्द्र के बाहर अन्य स्थान/पार्क आदि में अपने Time Slot की प्रतीक्षा कर लें। जो अभ्यर्थी अपने निर्धारित समय अवधि में उपस्थित नहीं होंगे उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा।

क्रमशः—02

उत्कृष्टता

पारदर्शिता


वस्तुनिष्ठता

4. अभ्यर्थी अपने साथ मास्क अनिवार्य रूप में लायेंगे। अन्यथा परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि वे व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से उचित समझते हैं तो हाथों में Gloves पहन कर आ सकते हैं। अभ्यर्थी अपने साथ पारदर्शी (बिना लेवल के) बोतल में पानी और पारदर्शी बोतल में Sanitizer भी ला सकते हैं।
5. शारीरिक दूरी/सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। प्रवेश के दौरान सुरक्षा जांच, परीक्षा परिसर में तथा परीक्षा कक्ष में शारीरिक दूरी के नियम (लगभग 6 फीट की दूरी) का पालन प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा। इसी के अनुरूप उनके बैठने की व्यवस्था भी की जायेगी
6. प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग की जायेगी अधिक तापमान पाये जाने पर या कोई और लक्षण पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा हेतु अलग कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
7. प्रवेश द्वार पर प्रवेश पत्र की जांच के साथ-साथ पर्याप्त दूरी से HHMD (Hand Held Metal Detector) से अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जायेगी। मोबाईल फोन तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश परीक्षा केन्द्र में प्रतिबंधित रहेगा अतः अभ्यर्थी इन्हें परीक्षा केन्द्र के बाहर ही रखने/छोड़ने की व्यवस्था करें अन्यथा उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के ऐसे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोग या परीक्षा केन्द्र की नहीं होगी।
8. परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा कक्ष में Hand Sanitizer की पर्याप्त व्यवस्था आयोग की ओर से की जायेगी जिसका उपयोग अभ्यर्थी कर सकते हैं। परीक्षा केन्द्र को Sanitize करने के लिए भी समुचित Sanitizer आयोग की ओर से उपलब्ध कराया जायेगा।
9. सुरक्षा जांच से सम्बन्धित सभी कार्मिकों को आयोग के व्यय पर PPE किट उपलब्ध कराई जायेगी। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्र में परीक्षा कार्य में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए भी मास्क व ग्लब्स की व्यवस्था आयोग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. परीक्षा प्रारम्भ होने के पहले व परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षा केन्द्र को Sanitize किया जायेगा। इस प्रक्रिया में परीक्षा में उपयोग होने वाले कक्षों, उपयोग में लाये जा रहे फर्नीचर, आने-जाने के रास्ते/बरामदा तथा टॉयलेट को भी Sanitize किया जायेगा। इस कार्य के लिए सोडियम हाइपो क्लोराइड(Sodium hypochlorite) या क्लोरोक्सीलेनोल या पैराक्लोरोमेटाक्सीलेनोल(Parachlorometxylenol) (PCMX) रसायन के समुचित अनुपात का उपयोग किया जायेगा।
11. परीक्षा कक्ष में परीक्षक (Invigilator) द्वारा भी सम्पूर्ण अवधि पर मास्क व दस्तानों का उपयोग किया जायेगा। समय-समय पर या आवश्यकतानुरूप वे अभ्यर्थियों के हाथों को भी Sanitize करेंगे।

12. परीक्षा की शुचिता के लिए Biometric उपस्थिति एक आवश्यक गतिविधि है अतः PPE किट में आयोग प्रतिनिधि Biometric उपस्थिति लेंगे व लेने के पूर्व व बाद अभ्यर्थियों के हाथों को सैनिटाइज भी करेंगे।
13. परीक्षा परिसर में पान, गुटका, च्यूइंगम अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री व धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। परीक्षा परिसर में थूकना भी वर्जित है। सभी अभ्यर्थी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
14. परीक्षा समाप्ति पर केन्द्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों को कक्षवार छोड़ा जाय जिससे बाहर निकलते समय भी शारीरिक दूरी के नियम का पालन हो सके।
15. यदि परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावक या माता-पिता आये हों तो वे परीक्षा केन्द्र के गेट पर या उसके निकट भीड़ में एकत्र न हों बल्कि अलग-अलग स्थानों पर रहें या परीक्षा केन्द्र से दूर पार्क या किसी अन्य स्थान पर प्रतीक्षा करें।
16. कोविड-19 के कारण आयोग द्वारा पहले उन परीक्षाओं को लिया जा रहा है जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है। धीरे-धीरे परीक्षा केन्द्रों तथा अभ्यर्थियों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता के उपरांत अधिक संख्या वाली लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा।

वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से बचाव शीर्ष प्राथमिकता है किंतु परीक्षाओं का आयोजन भी आयोग लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समस्त प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करके सहयोग दिया जाना आवश्यक है जिससे आयोग की परीक्षायें धीरे-धीरे सम्पन्न होती रहें व अभ्यर्थियों को चयन में भागीदारी का अवसर मिलता रहे। अतः सभी पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि संक्रमण से बचाव के लिए इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इन निर्देशों की अवहेलना या परीक्षा के दौरान अनुचित आचरण अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारण माना जायेगा।

संक्रमण काल में सुरक्षित लिखित परीक्षाओं की शुभकामना के साथ।

भवदीय

(संतोष बडोनी)
सचिव
१८

संख्या व तिथि उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. समस्त चयनित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षक।
4. सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेंसी के प्रतिनिधि।
5. आयोग के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण।
6. आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
7. गार्ड फाईल।


(संतोष बडोनी)
सचिव।
१८